CANCELLED CANCELLED CANCELLED

104

B.O.R.

02 DEC 2016

श्री ... ... द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

119
24-12-16

न्यायालय :- श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
केम्प सागर म.प्र.

R-4390 I-16

1. परमसींग तनय धनसींग लोधी आयु 70 वर्ष
2. दौलत सिंह लोधी
3. मुरली सिंह लोधी
4. भूरे सिंह लोधी
5. श्रीराम सिंह लोधी

वारसान श्रीमति स्व. नर्मदाबाई पति प्यारेलाल लोधी पुत्री जगनसिंह लोधी निवासी नीमखेडा तह० बण्डा जिला सागर म.प्र.

सभी के पिता प्यारेलाल लोधी
सभी निवासी ग्राम नीमखेडा तह० बण्डा जिला सागर

पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिअपीलार्थीगण

//बनाम//

श्रीमति सूरजबाई पति रतन सिंह लोधी पुत्री करन सिंह लोधी
आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम सुहाव तह० पथरिया जिला दमोह म.प्र.

प्रतियाचिककर्ता/अपीलार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्तागण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर के अपील क्रमांक 1083/27/2015-16 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.11.2016 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका विधि के निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत कर रहे है :-

//अपील प्रकरण का संक्षिप्त विवरण//

1. यहकि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बण्डा श्री बी.बी.पाण्डे के न्यायालय मे अपीलार्थी श्रीमति सूरजबाई पति रतन सिंह लोधी पुत्री करनसिंह लोधी द्वारा पुनरीक्षणकर्तागणो/प्रतिअपीलार्थीगणो के विरूद्ध करीब 13 साल पहले अपीलार्थी सूरजबाई से सहमति के आधार पर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बण्डा के न्यायालय से दिनांक 11.11.2002 को विधिवत आवेदन देकर ग्राम बमाना, एवं चन्द्रपुरा तह० बण्डा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4390-एक/2016 जिला सागर परमसिंह विरूद्ध सूरजबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बंडा जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 108अ/27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-12-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

04.01.19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य

4/1/19